>

Title: Need to include the Jat Community of Bharatpur and Dholpur in Rajasthan in the list of Other Backward Classes Central Government List.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय के लोगों को "अन्य पिछड़ा वर्ग" में शामिल किए जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के अलावा पूरे राजस्थान के जाट वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग में वर्ष 1999 में शामिल किया गया है परंतु राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग को अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया गया है जबकि भरतपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग आज कई दृष्टियों से पिछड़े है न जाने किस आधार पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को "अन्य पिछड़ा वर्ग" में शामिल नहीं किया। मैंने कई बार सदन में प्रश्न करवाए परंतु सरकार ने इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। अपने प्रश्नों में भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं करने के कारणों को जानना चाहा परंतु कारणों को आज तक नहीं बताया गया है। केवल इसके नोटिफिकेशन एवं इसकी तारीख की जानकारी देकर मुझे इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। 1997 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी सिफारिशों में इन जाटों के बारे में बताया होगा एवं किस तरह से यहां के जाट अन्य जाटों से पिछड़े नहीं है। क्या इस संबंध में कोई सर्वे करवाया गया है जिससे भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ली गई ? धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होने से केन्द्रीय सरकार के पदों एवं सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाटों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो सिफारिशें दी हैं वे क्या हैं एवं विशेष नोटिफिकेशन के तहत भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए।